दवाओं पर सवाल

संपादकीय

भ्रामक विज्ञापन मामले में सर्वोच्च न्यायालय का रुख कदापि नरम पड़ता नहीं दिख रहा है और उसके कड़े रुख का जमीनी असर दिखाई पड़ने लगा है। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद की 14 दवाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। बेशक, सर्वोच्च न्यायालय की तारीफ की जा सकती है कि वह पूरे सोच-विचार के बाद ही सजा देने की ओर बढ़ रहा है। लोगों को लग सकता है कि सजा सुनाने में देरी हो रही है, लेकिन वास्तव में न्यायालय सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा मौका देना चाहता है और यही न्यायोचित है। न्यायालय कथित औषधि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में समाज के सामने व्यापकता में आदर्श रखना चाहता है। मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) को भी अदालत ने फिर एक बार आड़े हाथों लिया। पिछली सुनवाई के समय शीर्ष अदालत ने कहा था कि एलोपैथिक डॉक्टर गैरजरूरी और महंगी दवाइयां लिखते हैं। यह बात आईएमए अध्यक्ष आर वी अशोकन को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने अदालती टिप्पणी को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया था। ध्यान रहे, आईएमए ही पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अदालत गया है, पर आईएमए भी बेदाग नहीं है। गौर करने की बात है कि शीर्ष अदालत ने आईएमए के वकील से कह दिया है, ज्यादा गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहें। मतलब, भ्रामक विज्ञापन प्रकरण में न केवल आयुर्वेद, बल्कि एलोपैथी की दुनिया को भी सबक लेने की जरूरत है। एलोपैथी को सफलतम व्यावहारिक उपचार विधि माना जाता है, पर यह नहीं मानना चाहिए कि वह सोलह आना सही है। आईएमए अध्यक्ष ने अहंकार और दुस्साहस का प्रदर्शन करते हुए यहां तक कह दिया था कि न्यायालय अस्पष्ट और अप्रासंगिक टिप्पणी कर रहा है और देश के चिकित्सा पेशे के खिलाफ व्यापक रुख अपनाना सर्वोच्च न्यायालय को शोभा नहीं देता है। जाहिर है, उनकी यह टिप्पणी बड़बोलापन भी है। हमने कोविड महामारी के समय ही देखा है कि किस तरह से चिकित्सा जगत में अफरातफरी का जानलेवा माहौल था। हर सांस का सौदा किया जा रहा था, मगर किसी अस्पताल या किसी चिकित्सक पर शायद ही आंच आई। गंभीर मरीजों पर नानाविध अपुष्ट प्रयोग किए गए और न जाने कितने मरीजों को अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया गया। चिकित्सा क्षेत्र की कमियों का खमियाजा स्वयं चिकित्साकर्मियों ने भी बड़ी संख्या में भुगता था। एलोपैथी स्वयं को संत-सज्जन मानकर दूसरी चिकित्सा विधाओं को निशाना न बनाए, तो बेहतर है। सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन मामले का यथोचित विस्तार किया है। उन सभी उत्पादों की जांच होनी चाहिए, जो भ्रामक विज्ञापन जारी करते रहे हैं और जनता को धोखा देते रहे हैं। इसी से जुड़ा एक मामला कोविड वैक्सीन का है। ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उसकी कोविड वैक्सीन दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। वैक्सीन निर्माता ने अदालत में कहा है कि कोविशील्ड ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे रक्त के थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है। ध्यान रहे, एस्ट्राजेनेका को ब्रिटेन में मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है कि उसके टीके के चलते कई लोगों की जान गई है। भारत में किसी दवा कंपनी से मुआवजे के लिए कोई आगे नहीं आया है, पर ब्रिटेन के हाईकोर्ट में 51 मामलों में पीड़ित 10 करोड़ पाउंड तक के हर्जाने की मांग कर रहे हैं।

पशु जीवन के साथ भी हो गरिमापूर्ण व्यवहार

-डॉ. सत्यवान सौरभ

पशु क्रूरता में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के जानबूझकर, दुर्भावनापूर्ण कार्य और कम स्पष्ट स्थितियाँ शामिल हैं जहाँ किसी जानवर की ज़रूरतों की उपेक्षा की जाती है। जानवरों के ख़िलाफ़ हिंसा को आपराधिक हिंसा और घरेलू दुर्व्यवहार की उच्च संभावना से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 में अधिकार केवल मनुष्यों को प्रदान किया गया है~लेकिन ÷जीवन÷ शब्द के विस्तारित अर्थ में अब बुनियादी पर्यावरण में गड़बड़ी के खिलाफ अधिकार शामिल है, इसका अर्थ यह होना चाहिए कि पशु जीवन के साथ भी ÷आंतरिक मूल्य, सम्मान और गरिमा÷ के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान केवल मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन ÷जीवन÷ शब्द का अर्थ आज केवल अस्तित्व से कहीं अधिक समझा जाता है; इसका मतलब एक ऐसा अस्तित्व है जो हमें, अन्य बातों के अलावा, एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने की अनुमति देता है।

दंड संहिता में संशोधन करके, जानवरों को अनावश्यक दर्द या कष्ट देने और जानवरों को मारने या गंभीर रूप से दुर्व्यवहार करने के लिए सज़ा बढ़ा दी गई। इसमें क्रूरता के विभिन्न रूपों, अपवादों और किसी पीड़ित जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता होने पर उसे मार डालने की चर्चा की गई है, ताकि उसे आगे की पीड़ा से राहत मिल सके। अधिनियम का विधायी इरादा ÷जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा पहुंचाने से रोकना÷ है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई थी। यह अधिनियम जानवरों पर अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान करता है। यह अधिनियम जानवरों और जानवरों के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है। पहले अपराध के मामले में, जुर्माना जो दस रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पचास रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले अपराध के तीन साल के भीतर किए गए दूसरे या बाद के अपराध के मामले में जुर्माना पच्चीस रुपये से कम नहीं होगा। जिसे एक सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या तीन महीने तक की कैद या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए जानवरों पर प्रयोग से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करता है। यह अधिनियम प्रदर्शन करने वाले जानवरों की प्रदर्शनी और प्रदर्शन करने वाले जानवरों के खिलाफ किए गए अपराधों से संबंधित प्रावधानों को स्थापित करता है।

प्रतिशोध (किए गए अपराध का बदला लेने के लिए दी गई सजा), निवारण (अपराधी और आम जनता को भविष्य में ऐसे अपराध करने से रोकने के लिए दी गई सजा), सुधार या पुनर्वास (अपराधी के भविष्य के व्यवहार को सुधारने और आकार देने के लिए दी गई सजा), कानून का खराब कार्यान्वयन और इसके द्वारा निर्धारित कम दंड से पीसीए अधिनियम अत्यंत अप्रभावी प्रतीत होता है। अधिनियम के तहत अधिकांश अपराध जमानती हैं (आरोपी अधिकार के तौर पर पुलिस से जमानत मांग सकता है) गैर-संज्ञेय (जिसका अर्थ है कि पुलिस स्पष्ट अनुमति के बिना न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकती है और न ही जांच कर सकती है या गिरफ्तारी कर सकती है। पीसीए अधिनियम के तहत जुर्माने के रूप में निर्धारित राशि वही है जो इसके पूर्ववर्ती, पीसीए अधिनियम 1890 में निर्धारित है। जुर्माना महत्वहीन है (कई मामलों में ?10 से कम) क्योंकि 130 से अधिक वर्षों में उनमें संशोधन नहीं हुआ है। कानून को इस तरह से लिखा गया है कि मामले से निपटने वाली अदालत को आरोपी पर कारावास या जुर्माना लगाने के बीच चयन करने का विवेक है।

यह पशु क्रूरता के अपराधियों को अधिकांश मामलों में केवल जुर्माना अदा करके पशु क्रूरता के सबसे क्रूर रूपों से बच निकलने की अनुमति देता है। कानून में स्वयं %सामुदायिक सेवा% के लिए कोई प्रावधान नहीं है जैसे कि सजा के रूप में पशु आश्रय में स्वयंसेवा करना, जो संभावित रूप से अपराधियों को सुधार सकता है। जानवरों के लिए पाँच मौलिक स्वतंत्रताओं का समावेश, दंडों में वृद्धि और विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि, नए संज्ञेय अपराधों को जोड़ना, मसौदा विधेयक में पशु क्रूरता के मामले से निपटने वाली अदालत के लिए दो विकल्पों के रूप में कारावास और जुर्माने का प्रावधान जारी रखा गया है। पशुओं को मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान किये गये हैं। अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) व्यक्तियों को दिए गए हैं। व्यक्ति÷ का अर्थ है मनुष्य या मनुष्यों के संघ, जैसे निगम, साझेदारी, ट्रस्ट आदि अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और माल ढोने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्ल में सुधार करना, अनुच्छेद 48ए पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (पीसीए अधिनियम), 1960 जानवरों के प्रति क्रूरता का कारण बनने वाले कई प्रकार के कार्यों को अपराध मानता है। यह चिकित्सा उन्नति सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रयोगों के लिए जानवरों के उपयोग की छूट देता है। भले ही विधेयक का मसौदा कानून बन जाए, फिर भी अपराधियों के लिए मामूली जुर्माना भरना और अत्यधिक क्रूरता के कुछ कृत्यों के लिए कारावास से बचना संभव होगा।

अपनी सीमाओं के साथ, मसौदा विधेयक का अधिनियमन भारत में पशु कानून के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। ÷भारत को दुनिया के सभी देशों के लिए एक महान उदाहरण स्थापित करना चाहिए। हमें एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं लेकिन क्योंकि हमने किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक अहिंसा के बारे में बात की है, इसलिए जितना अधिक हम इसके बारे में बात करेंगे, इसे व्यवहार में लाने की जिम्मेदारी उतनी ही अधिक होगी। नई सरकार को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए ताकि पीसीए अधिनियम (1960) में संशोधन अंततः दिन के उजाले को देख सके। अनुच्छेद 21 में अधिकार केवल मनुष्यों को प्रदान किया गया है~ लेकिन ÷जीवन÷ शब्द के विस्तारित अर्थ में अब बुनियादी पर्यावरण में गड़बड़ी के खिलाफ अधिकार शामिल है, इसका अर्थ यह होना चाहिए कि पशु जीवन के साथ भी ÷आंतरिक मूल्य, सम्मान और गरिमा÷ के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान केवल मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन ÷जीवन÷ शब्द का अर्थ आज केवल अस्तित्व से कहीं अधिक समझा जाता है; इसका मतलब एक ऐसा अस्तित्व है जो हमें, अन्य बातों के अलावा, एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने की अनुमति देता है।

स्कूलों में बम की सूचना से सबक

दहशतगर्दों की मानसिकता को समझने की जरूरत है, वे अपनी किसी भी कारस्तानी का बड़ा प्रभाव देखना चाहते हैं। ऐसे तत्व भीड़ भरे बाजारों को चुनते हैं, ताकि छोटे धमाके का भी बड़ा असर हो सके। रेलवे स्टेशन, बाजार या बस अड्डे निशाने पर रहते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाकर समाज में बड़े पैमाने पर दहशत फैला सकें। कभी दिल्ली में ट्रांजिस्टर की मदद से बसों में विस्फोट की साजिश होती थी, खिलौनों का भी इस्तेमाल होता था। अब भीड़ भरे इलाकों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे ऊंची-ऊंची इमारतें बन गई हैं, अनेक मॉल्स खड़े हो गए हैं, उसी हिसाब से चिंता भी बढ़ गई है। अगर ऐसी जगहों पर विस्फोट हो और भगदड़ मचे, तो बड़े पैमाने पर क्षति पहुंच सकती है, अराजक स्थिति बन सकती है। मतलब, ऐसी तमाम भीड़ भरी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखना होगा, ताकि किसी भी तरह की हिंसक या गलत गतिविधियां ऐसी जगहों पर जाल न बिछा पाएं। भीड़ भरी जगहों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी और इससे बचा नहीं जा सकता।

(दिलीप त्रिवेदी, पूर्व आईपीएस अधिकारी)

पिछले दिनों बुधवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब सौ स्कूलों में बम की सूचना ने सबको चिंता में डाल दिया। बड़े पैमाने पर स्कूलों के जरिये दहशत फैलाने की साजिश हुई है। हालांकि, ज्यादातर स्कूलों में सुरक्षा चाक-चौबंद है, बाहरी लोगों को स्कूलों में जाने नहीं दिया जाता है। फिर भी स्कूलों में सुरक्षा की ज्यादा चिंता होनी चाहिए और सभी को नए सिरे से सचेत हो जाना चाहिए।

वैसे, अगर हम गौर करें, तो शायद ही कभी ऐसा होता है, जब दहशतगर्द बताकर हमले करते हैं। 9/11 का हमला हो या 26/11 का हमला, दहशतगर्दों ने घातक हमले पहले बताकर या धमकाकर नहीं किए थे। आम तौर पर हमला होने के बाद ही कोई आतंकी संगठन उसकी जिम्मेदारी लेता है। फिलहाल, स्कूलों में बम की धमकी में कोई खास दम नहीं दिखता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। ऐसी धमकियों को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बच्चों की सुरक्षा का सवाल शामिल है। जांच पूरी होनी चाहिए, जहां-जहां बम की आशंका बताई गई है, वहां-वहां घेराबंदी करके पुलिस की स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

दहशतगर्दों की मानसिकता को समझने की जरूरत है, वे अपनी किसी भी कारस्तानी का बड़ा प्रभाव देखना चाहते हैं। ऐसे तत्व भीड़ भरे बाजारों को चुनते हैं, ताकि छोटे धमाके का भी बड़ा असर हो सके। रेलवे स्टेशन, बाजार या बस अड्डे निशाने पर रहते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाकर समाज में बड़े पैमाने पर दहशत फैला सकें। कभी दिल्ली में ट्रांजिस्टर की मदद से बसों में विस्फोट की साजिश होती थी, खिलौनों का भी इस्तेमाल होता था। अब भीड़ भरे इलाकों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे ऊंची-ऊंची इमारतें बन गई हैं, अनेक मॉल्स खड़े हो गए हैं, उसी हिसाब से चिंता भी बढ़ गई है। अगर ऐसी जगहों पर विस्फोट हो और भगदड़ मचे, तो बड़े पैमाने पर क्षति पहुंच सकती है, अराजक स्थिति बन सकती है। मतलब, ऐसी तमाम भीड़ भरी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखना होगा, ताकि किसी भी तरह की हिंसक या गलत गतिविधियां ऐसी जगहों पर जाल न बिछा पाएं। भीड़ भरी जगहों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी और इससे बचा नहीं जा सकता। मिसाल के लिए, पहले इतनी संख्या में स्कूल नहीं थे, पर अब जगह-जगह स्कूल हो गए हैं, तो चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। छोटे शहरों में भी भीड़ बढ़ रही है, पर बड़े शहरों में ज्यादा खतरा है। बड़े शहरों में जब आतंकी घटना होती है, तो देश-दुनिया में ज्यादा चर्चा होती है। दहशतगर्दों का मकसद ही यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके। जब वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला होता है या मुंबई जैसी व्यावसायिक राजधानी पर या दिल्ली में सीधे संसद पर, तब दहशत तेजी से फैलती है। इसमें कोई दोराय नहीं कि देश के सभी आर्थिक-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों की चिंता हमें होनी चाहिए।

तमाम स्कूलों, भीड़ भरी जगहों, भवनों के लिए विशेष रूप से सोचना होगा। दुर्घटना होने की स्थिति में बचकर बच्चे या लोग कैसे निकलेंगे? हर भवन के पास भगदड़ से बचने की योजना होनी चाहिए। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। जैसे सिनेमा हॉल है, वहां जगह-जगह बाहर निकलने के आपात-रास्तों के बारे में सूचना दर्ज होती है, पर उस पर लोगों का ध्यान कम जाता है। ऐसी आपात योजनाओं के बारे में सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ताकि सुरक्षा और सावधानी के साथ लोग समय रहते अपनी जान बचाकर भवन से बाहर निकल जाएं।

इसी तरह स्कूलों की बात करें, तो स्कूलों में पहले रिहर्सल किया जाता था कि आपात स्थिति में किस कक्षा के छात्र किसी दिशा से होते हुए किस दरवाजे से बाहर निकलेंगे, सारे लोग आपात स्थिति में एक ही दरवाजे की ओर नहीं भागेंगे, कक्षाओं से निकल भागने के अधिक से अधिक या पर्याप्त रास्ते होंगे। छात्रों को बताना होगा कि आपात स्थिति होने पर किस रास्ते से भागकर कहां जाना है या कैसे स्कूल के मैदान में आना है। स्कूलों के पास बचाव की योजनाएं होनी चाहिए। आपातकालीन व्यवस्था का रिहर्सल समय-समय पर किया जाना चाहिए, इससे लोगों को सजग रहने में मदद मिलती है और समाज में लापरवाही भी घटती है।

बहरहाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिन स्कूलों को धमकी मिली है, वहां पुलिस को स्कूलों का पूरा मौका-मुआयना करना चाहिए और लगे हाथ स्कूलों की बचाव व्यवस्था की भी समीक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि धमकी में कोई सार नहीं है, ऐसी धमकी भी एक सबक है कि हम पहले की तुलना में ज्यादा सचेत हों और बचाव संबंधी अपनी योजनाओं को पुन~ परखकर चुस्त-दुरुस्त कर लें। पुलिस को स्कूल प्रबंधन के साथ बैठकर देखना चाहिए कि ऐसी स्थिति बनने पर स्कूल कैसे अपना या अपने बच्चों का बचाव करेगा। जिन स्कूलों के पास बचाव की योजना नहीं है, उनकी मदद पुलिस कर सकती है।

ऐसी ही तैयारी हर सोसायटी, हर ऊंची इमारत, कार्यालय, बाजार, मॉल में भी होनी चाहिए। हवाई अड्डों और बस अड्डों की सुरक्षा भी समीक्षा के दायरे में आनी चाहिए। बचाव की स्थिति में पानी, बिजली की व्यवस्था, आपात चिकित्सा सुविधा को मुकम्मल करना चाहिए। आसपास कौन से अस्पताल हैं? बचाव के लिए किधर जाना है, इसकी पूरी योजना लोगों के ध्यान में रहनी चाहिए।

आज देश में चुनाव का समय है, तो इस धमकी का एक सियासी कोण भी हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस या सुरक्षा एजेंसियां धमकी को हल्के से लेते हुए नजरंदाज कर दें। राजनीति की कोई चिंता न करते हुए पुलिस को अपना रवैया पेशेवर रखना चाहिए और अपनी तैयारी में ढील नहीं देनी चाहिए। पुलिस को देखना चाहिए कि वह क्या सीख सकती है और क्या सुधार कर सकती है।

गौरतलब है, दुनिया में तकनीक का तेजी से विस्तार हो रहा है। देशद्रोही या दहशतगर्द भी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। पहले आतंकी गतिविधि सामान्य किस्म की होती थी कि कहीं बम लगा दिया और नुकसान पहुंचा दिया। फिर आरडीएक्स का इस्तेमाल होने लगा। अब तो दूर बैठकर भी विस्फोट को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में, पुलिस को भी तकनीकी स्तर पर बहुत कुशल होना पड़ेगा, ताकि किसी भी प्रकार के आधुनिक विस्फोट या हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। स्कूलों को मिली धमकी को समझने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए।

ऐसा स्कूल जहां चोरी और डकैती की दी जाती है ट्रेनिंग

(सुभाष आनंद - विनायक फीचर्स)

विकासशील देशों में बढ़ती विषमताओं ने युवा वर्ग में ऐसी सोच उत्पन्न कर दी है कि पढ़ाई खत्म होने के उपरांत वे जल्दी ही ऐसा कोई काम करें जिससे वे शीघ्र अमीर बन जाए। काम कितना भी बेहूदा एवं खतरनाक क्यों ना हो उन्हें करने से कोई परहेज नहीं है। परिणाम स्वरूप आज ऐसे देशों में नैतिकता पतन की तरफ बढ़ रही है। जहां पढ़े लिखे लोगों को चोरी, डकैती, लूटमार, स्नेचिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है।

कोई माने या ना माने परंतु यह कटु सत्य है कि लंदन में ऐसे कई स्कूल चल रहे हैं जहां बच्चों को चोरी डकैती की ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग 6 महीने से 1 वर्ष तक चलती है, हर रोज तीन पीरियड लगते हैं। पहले पीरियड में हाथ की सफाई की ट्रेनिंग दी जाती है तो दूसरे में चोरी कैसे की जाती है तथा तीसरे पीरियड में डकैती कैसे डाली जाती है और इस धंधे में मासिक कितना कमाया जा सकता है और कितने पैसे पुलिस को देने पड़ते हैं। 6 माह के प्रशिक्षण की फीस 3000 पौंड, भारतीय करेंसी में 1,10,000 रुपए के लगभग होती है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त होने पर संस्था की तरफ से प्रमाण पत्र भी दिया जाता है ताकि ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए आदमी बड़े-बड़े गैंग के सदस्य बन सके। वैसे भी अधिकतर गिरोह इसी स्कूल से ट्रेनिंग प्राप्त बच्चों को प्राथमिकता देते हैं और होनहार बच्चों को अच्छा वेतन और कमीशन देने के साथ गाड़ी व रहने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। आखिर इन स्कूलों का मुख्य मकसद क्या है?स्कूल के संस्थापक जान अल्बर्ट का कहना है कि हमने सड़कछाप गरीब लोगों के लिए एक ऐसा स्कूल खोला है जिनसे उनका जीवन स्तर सुधर सके तथा वह अपना भावी जीवन सफल बना सके।

इस तरह के देश विरोधी स्कूल सभ्य समाज में कलंक नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लंदन प्रेस क्लब के अध्यक्ष रॉबर्ट एड्वर्ड का कहना है कि बड़े देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वे लोगों को बम धमाकों की ट्रेनिंग देते है, उनकी आर्थिक मदद की जाती है। ऐसे आतंकी बड़े-बड़े नेताओं को अपनी गोलियों का निशाना बनाते हैं । आज के वातावरण में सामान्य नागरिक भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में भी हमारे स्कूल के विद्यार्थी ऐसा करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होते।

स्कूल के मैनेजर का कहना है कि हमारे स्कूल के बच्चे किसी बैंक को नहीं लूटते ना किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान करते हैं । हमारे बच्चे बड़े-बड़े सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में काम करते हैं। हम स्कूल में बच्चों को यह नहीं सिखाते कि कोई भी बच्चा इसका नाजायज लाभ उठाएं। इसके विपरीत ये बच्चे अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को पकडऩे में पुलिस की मदद करते है।

स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि पहली लुक में हमारा स्कूल चोर उचक्कों का स्कूल लगता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारा स्कूल ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमारे स्कूल में लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी ट्रेनिंग दी जाती है । हमारा लक्ष्य है कि लड़कियां भी मजबूत, निडर बेधड़क, फुर्तीली और लगन से भरपूर हो। पूरा देश शांत मय और भय मुक्त हो, यदि कोई व्यक्ति समाज विरोधी एवं देश विरोधी है तो हमारे बच्चे उनको पाठ सिखाएं।

वही समाज सेवी संगठनों ने स्कूल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इससे लंदन में चोरी डकैती करने वालों पर नकेल कसी जाएगी।लंदन स्कूल ऑफ डकैती के अध्यक्ष डेविड कोविन का कहना है कि ऐसे स्कूलों के बच्चों को राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की बातें भी बताई जाती है। पूरे लंदन में यह स्कूल सफलतापूर्वक चल रहे हैं और सरकार को इसे लेकर कोई आपत्ति नहीं है। (विनायक फीचर्स)

तुलसीदास की दोहावली में लोकजीवन के नीति तत्वों का निरुपण

(डॉ. परमानंद तिवारी- विनायक फीचर्स)

भारतीय संस्कृति अनेकानेक झंझावातों से गुजरती हुई इस अवस्था को प्राप्त हुई है। कई लोगों ने %स्वान्त~ सुखाय% की संकल्पना पर आधारित रघुनाथ गाथा को लोक आख्यान नहीं, बल्कि भारतीय सामाजिक संरचना का तात्कालिक संविधान कहा है। तुलसी की रचनाओं का आधार लोक कल्याण ही था। इसमें सभी वर्गों यहां तक कि सम्पूर्ण संसार को ही %सियराम मय सब जग जानी% की विनत भावना से काव्य को दिशा दी गई है। तुलसी सम्पूर्ण काव्य राममय है। यह राम की भक्ति उनके कथ्य में शुचिता सदाशयता और समर्पण की भावना भर देती है।

हमारी संस्कृति में सनातन मूल्यों के साथ राम का चरित्र सदैव मंगलकारी माना गया है। रामकथा को मानवीय मूल्यों से सम्पर्क कर तुलसी सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना के संवाहक बन गए हैं। तुलसीदास की लोकप्रियता का कारण यह है कि उन्होंने अपनी कविता में अपने देखे हुए जीवन का बहुत गहरा चित्रण किया है। उन्होंने राम के व्यक्तित्व को युगानुरूप वर्णित किया। उन्होंने राम की संघर्ष कथा को अपने युग के अनुरूप बनाया, जिसमें तत्कालीन समाज का स्वरूप उसके आलोक में सहज ही समाहित हो गया। रामचरित मानस में तुलसी ने अपने पूर्व के कवियों की भांति राम को नहीं देखा, बल्कि राम के चरित्र के केन्द्रीय तत्वों को बिना किसी हस्तक्षेप के नये स्वरूप में प्रस्तुत किया।

उनकी सभी रचनाओं का केन्द्रीय भाव रामभक्ति, राम का चरित्र, उनकी अलौकिक सत्ता, उनके चमत्कार %नाना पुराण निगमागम सम्मतं%से मेल खाते हैं। तुलसी के राम जिस लोक में प्रतिष्ठित किए गए हैं। वह 15वीं, 16वीं सदी का हमारा भारत देश रहा है, जो विभिन्न प्रकार की विषमताओं से ग्रस्त था। इस विषमताग्रस्त समाज को कलियुग के माध्यम से चित्रित किया गया है, जहां समाज में अनेकानेक विद्रूपताएं विद्यमान थी, दैहिक, दैविक, भौतिक तीन तापों दुःखों के साथ गरीबी, भुखमरी, अकाल, महामारी, बेकारी आदि का वर्णन है। समाज में कपट फरेब अन्यायी राजा, दुर्जन, सज्जन, आडम्बरी साधु और अनय अनीति सब कुछ दिखायी देते है। तमाम प्राकृतिक संरचनाएं नद निर्झर, सरिता, पर्वत, कंदरायें, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे जैव विविधता का सुन्दर स्वरूप भी काव्य में दिखाई देता है।

राम बाललीला राज दरबार वैभव वनवास प्रसंग कोल किरात वनजीवन से परिचय और सबके प्रति अगाध प्रेम अनेक प्रसंग जिसमें कई अन्य स्थलों में विविध पात्रों का यथास्थान वर्णन है, जिससे लोगों को प्रेरणा, शिक्षा तथा जीवन की दिशा प्राप्त होती है।

तुलसीदासजी की रचना संसार का हर मोती अपने स्वरूप और उपादेयता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहां पर उनके काव्य दोहावली में लोक जीवन के साथ नीति तत्वों को तलाशना और उसकी प्रासंगिकता को समय के बदलाव के साथ परखना है। आज से लगभग 500 वर्ष पुरानी रचना में कितनी कालजयी शक्ति है कि उसके भाव उसकी अर्थवत्ता काल के प्रवाह के साथ भी न तो कहीं धूमिल हुई और न उसके संदर्भों में कोई बदलाव आया। समाज में प्रचलित विभिन्न संदर्भों में दोहावली के दोहों का उल्लेख होना उसकी लोक दृष्टि का बोधक है। संग महिमा को किस प्रकार रेखांकित किया गया है। तुलसी भलो सुसंग से पोच कुसंगति सोइ। नाउ किन्नरी तीर असि लोह विलोकहु लोइ। अच्छी संगति से मनुष्य अच्छा और बुरी संगति से बुरा होता है। देखिये जो लोहा नाव में लगने से पार उतारता है। सितार में लगने से मधुर संगीत सुनाकर सुख देने वाला होता है, वही लोहा तलवार और तीर में लगने से जीवों के लिए प्राणघातक हो जाता है। इसी तरह बड़ों की संगति से मनुष्य (सम्मान्य) बड़ा और छोटों की संगति से नाम छोटा हो जाता है। मनुष्य के जीवन में विवेक की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि विधाता में %जड़ चेतन गुण दोष मय विश्व कीन्ह करतार।%

संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि वारि विकार।

ईश्वर ने इस संसार में जड़ चेतन और गुण दोष बनाए हैं॥

परन्तु संत रूपी हंस दूध में सम्पृक्त जल को त्यागकर मात्र गुणरूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। संसार में सभी प्राणियों को मिलने वाले लाभ-हानि का प्रयोजन भी उसके भाग्य पर निर्भर करता है जैसे बादल तो बरसकर समस्त संसार को प्रसन्न करता है, जिससे सबके ताप और दुःख दूर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जवासा का पौधा सूख जाता है तो बादल का कोई दोष नहीं है।

बरसि विस्व हरषित करत हरत ताप अघ प्यास।

तुलसी दोष न जलद को जल जरै जवास॥

तुलसीदास जी ने जीवन को बहुत समीप से समझा और जिया है। उन्होंने कहा है कि मित्रता तो सच्ची वही है जो विपत्ति में काम आये- कुदिन हितू सो हित सुदिन हित अनहित किन होई। ससि छवि हर रवि सदन तऊ, मित्र कहत सब कोई॥

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका सम्पूर्ण जीवन व्यवहार समाज में ही संचालित होता है। तुलसी जीवन का कल्याण चाहते हैं, इसीलिए वह लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टियों से कल्याण की कामना करते हैं। उनके दोहावली में मानस की इस घोषणा की भांति- कीरति मनिति भूति भलि सोई। सुरसरि सम सब करतित होई। का हर पल ध्यान रखते हैं। ऐसा कोई पक्ष नहीं है, जिसका लोक पक्ष समाज के लिए हितकारी न हो। ऐसे कई प्रसंग हैं, जिसमें तुलसी लोक को कभी भी नहीं भूलते। यह उदाहरण अत्यन्त रोचक है। जिसका अर्थ कपट अन्तत~खुल ही जाता है। चरन चोंच लोचन रंगौ चली मराली चाल। छीर नीर विवरन समय बक उघरत तेंहि काल॥ बगुला चाहे हंस की तरह भी चलने लगे परन्तु जिस समय दूध और जल को अलग करने का अवसर आता है उसकी पोल खुल ही जाती है। जिस कलियुग का वर्णन तुलसी ने अनेक विसंगतियों से युक्त बताया है। उस युग अर्थात वर्तमान संदर्भ में कपट की प्रधानता देखने को मिलती है। %हृदय कपट पर वेष धरि बचन कहहिं गढ़ि छोलि। अबके लोग मयूर ज्यों क्योंकि लिए दिल खोलि। हर मनुष्य के जीवन में कई ऐसी चीजें होती हैं, जिन पर अपवाद स्वरूप सत्संग का प्रभाव भी नहीं पड़ता। यह स्वभाव प्रधानता का पक्ष है। नीच निचाई नहि तजै सज्जन हूं के संग। तुलसी चन्दन विटप वसि विष नहीं तजत भुजंग। इसी तरह कहा गया है कि सज्जन अपनी सज्जनता एवं दुष्ट% दुष्टता का त्याग नहीं कर पाते। भलो भलाईहिं पै लहइ, लहइ निचाइहिं नीचु। सुधा सराहिअ अमरता गरल सराहिअ मीचु॥% इस संसार में समय जैसी पूंजी नहीं है और अवसर जैसा धन खो जाने पर फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचता। यह लोक जीवन में नीति का ऐसा पक्ष है, जो सर्वत्र हमारी लोकोक्तियों तक में निहित है। यथा %अवसर कौड़ी जो चुकै बहुरि दिए का लाख। दुइजन चंदा देखिये उदौ कहा भरि पाख॥

दोहावली में जीवन का ऐसा कोई भाग नहीं है जो अछूता है। कवि ने अपनी लेखनी विविध पक्षों पर चलाई है। यह संसार स्वार्थ की खदान है। यहां अपने-अपने हित के लिए सभी जागरूक हैं संसार में हित करने वालों की संख्या कम है। तुलसी जग जीवन अहित कतहुं कोउ हित जानि। शोषक भानु कृसानु महिं पवन एक धन दानि॥% आशय यह कि जगत में जीवों का अहित करने वाले बहुत हैं किन्तु हित करने वाले बिरले ही होते हैं। सूर्य अग्नि जल पृथ्वी पवन सभी जल को सुखाने वाले हैं। देने वाला तो एक बादल है।

संसार में मनुष्यों को आचरण और स्वभाव के अनुसार सज्जन और दुर्जन दो श्रेणियों में रखा गया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जिन कार्यों को सज्जन लोग करते हैं, वह उनके जीवन का अपरिहार्य अंग है। वहीं ऐसे कार्य दुर्जनों के लिए त्याज्य हैं। पुण्य प्रीति प्रति प्राप्तिउ परमारथ पथ पांच। लहहिं सुजन परिंहरहिं खल सुनहुं सिखावन सांच॥ दोहे में यह बताया गया है कि पुण्य प्रेम प्रतिष्ठा प्राप्ति (लौकिक लाभ) और परमार्थ का पथ इन पांचों को सज्जन ग्रहण करते हैं और दुष्ट त्याग देते हैं इस सही शिक्षा को सुनिए। जीवन का हर मोड़ सीधा मंजिल की ओर नहीं जाता। कहीं गतिरोध तो कहीं टकराव स्वाभाविक है और मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार अपना निर्वाह करता है। कई बार समाज में अनायास ही लोग मित्र, शत्रु बन जाते हैं। जिन्हें लोक दृष्टि से तीन स्वरूपों में रखा गया है।

उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानि।

प्रीति परीक्षा तिहुन की बैर वितिक्र जानि।

समाज में पाये जाने वाले पुरुषों के प्रेम और बैर की तीन स्थितियां देखी गई हैं, जिनमें उत्तम, मध्यम, नीच की गति क्रमश~पत्थर, बालू और जल के सदृश है। उत्तम पुरुष की मैत्री पत्थर पर लकीर, मध्यम की मैत्री बालू पर लकीर किसी हवा के झोंके तक बची रहती है, जबकि जल की लकीर की भांति दुर्जनों की मैत्री होती है। ठीक इसके विपरीत उत्तम आदमी का बैर जल की लकीर, मध्यम का बालू की लकीर और नीच का बैर पत्थर की लकीर की भांति चिरस्थायी होता है। इसलिए ऐसे लोगों से बैर और प्रीति करते समय ध्यान रखना चाहिये। यह कथन लोक जीवन का महत्वपूर्ण तथ्य है। हमारा समाज आज जिस आतंक का सामना कर रहा है तुलसीदास जी ने लड़ाई और आपसी कलह को बहुत ही बुरा बताया है- कलह न जानब छोट करि कलह कठिन परिनाम॥ लगत अगिनि लघु नीच गृह जरत धनिक धन धाम॥ इस संसार में कलह को कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। गरीब की छोटी-सी झोपड़ी में यदि आग लगती है तो उससे बड़े-बड़े धनिकों के भी धन, धाम जल जाते हैं। मनुष्य को अपने हित अहित का ध्यान रखना चाहिए समय पर कष्ट सह लेने को तुलसी हितकारी मानते हैं, देखिए- %लोक रीति फूटि सहहिं आंजी सहइ न कोई। तुलसी जो आंजी सहइ सो आंधरो न होइ। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में ऐसी भी परिस्थिति आती है, जब उसे क्रोध आ सकता है। तुलसीदास जी ने क्रोध को रोककर क्षमा को उपयोगी निरूपित किया है। क्रोध अत्यन्त हानिकारक है। कौरव पाण्डव जानिए क्रोध क्षमा के सीम। %पांचहि मारिन सौ सके सयौं संधारे भीम।% कौरवों को क्रोध और पाण्डवों को क्षमा की सीमा समझना चाहिए परन्तु क्रोध के कारण सौ कौरव पांच पाण्डवों को नहीं मार सके इधर अकेले भीम ने सभी सौ कौरवों का संहार कर दिया।